

अध्याय 1
सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2016-21 के दौरान बिहार सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं कर-भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की कुल प्राप्तियों में राज्य को समनुदेशित हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.1 में वर्णित है।

तालिका 1.1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19 [#]	2019-20	2020-21
1.	राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व					
	• कर राजस्व	23,742.26	23,136.49	29,408.14	30,157.98	30,341.66
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 6.71	(-) 2.55	27.11	2.55	0.61
	• कर-भिन्न राजस्व	2,403.11	3,506.74	4,130.56	3,699.60	6,201.35
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	9.95	45.93	17.79	(-) 10.43	67.62
	कुल	26,145.37	26,643.23	33,538.70	33,857.58	36,543.01
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा	58,880.59	65,083.38	73,603.13	63,406.33	59,987.24 ¹
	• सहायता अनुदान ²	20,559.02	25,720.13	24,651.62	26,968.62	31,763.88 ³
	कुल	79,439.61	90,803.51	98,254.75	90,374.95	91,751.12
3.	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	1,05,584.98	1,17,446.74	1,31,793.45	1,24,232.53	1,28,294.13
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	25	23	25	27	28
5.	कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता	22	20	22	24	24


(स्रोत : वित्त लेखे, बिहार सरकार)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में कर राजस्व में वृद्धि का कारण मुख्यरूप से वाणिज्य कर में ₹ 5,561.78 करोड़, वाहन पर कर में ₹ 486.43 करोड़ और व्यवसाय, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार में ₹ 38.53 करोड़ का वृद्धि था।

- पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखा में विवरणी संख्या-14-लघु शीर्ष-वार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष-0005 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹ 17788.69 करोड़), 0020-निगम कर (₹ 18062.14 करोड़), 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 18517.49 करोड़), 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 125.81 करोड़), 0032-सम्पत्ति पर कर (₹ 0.00 करोड़), 0037-सीमा शुल्क (₹ 3179.93 करोड़), 0038-संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 2012.03 करोड़), 0044-सेवा कर (₹ 258.09 करोड़) एवं 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 43.06 करोड़) के अन्तर्गत लघु शीर्ष 901-निवल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य स्थानांतरण/अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति भी शामिल हैं)।
- माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण ₹ 4,359.28 करोड़ के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति शामिल है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2016-21 के दौरान कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 4.20 प्रतिशत एवं 26.17 प्रतिशत थी।

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के राजस्व का ब्योरा चार्ट संख्या 1.1 में दिया गया है:



1.1.2 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर राजस्वों का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2
कर-राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	निम्न की तुलना में वर्ष 2020-21 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2020-21 के बजट अनुमान	2019-20 की वास्तविकी
1.	राज्य माल एवं सेवा कर	-	0.00	15,000.00	17,812.00	20,800.00	(-) 22.84	1.58
			6,746.96	15,288.06	15,800.53	16,050.23		
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,021.33	24,400.00	7,890.00	7,150.00	5,830.00	3.45	(-) 1.47
		11,873.51	8,298.10	6,584.24	6,121.43	6,031.42		
3.	माल एवं यात्रियों पर कर ⁴	7,211.96	0.00	0.00	50.00	20.00	(-) 71.6	(-) 75.15
		6,245.62	1,644.85	398.74	22.86	5.68		
4.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	88.90	0.01	0.02	(-) 0.01	0.00	-	(-) 90.16
		81.08	20.51	1.16	14.33	1.41		
उप-कुल (1, 2, 3 और 4)		21,322.19	24,400.01	22,890.02	25,011.99	26,650.00		
		18,200.21	16,710.42	22,272.20	21,959.15	22,088.74		
5.	राज्य उत्पाद ⁵	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	(-) 6.76
		29.66	(-) 3.43	(-) 9.63	(-) 4.14	(-) 4.42		
6.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	3,800.00	4,600.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(-) 10.50	(-) 9.75
		2,981.95	3,725.66	4,188.61	4,660.98	4,206.32		


⁴ 2020-21 की अवधि के दौरान वस्तु एवं यात्री पर कर के अन्तर्गत सभी प्राप्तियाँ प्रवेश कर से हैं, जिसे 1.7.2017 से हटा दिया गया एवं माल एवं सेवा कर में सम्मिलित किया गया।

⁵ बिहार में अप्रैल 2016 से शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	निम्न की तुलना में वर्ष 2020-21 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/हास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2020-21 के बजट अनुमान	2019-20 की वास्तविकी
7.	वाहनों पर कर	1,500.00 1,256.67	1,800.00 1,599.51	2,000.00 2,085.94	2,500.00 2,712.75	2,500.00 2,267.75	(-) 9.29	(-) 16.40
8.	भू-राजस्व	330.00 971.12	600.00 778.65	1,000.00 476.80	1,100.00 275.28	500.00 302.37	(-) 39.53	9.84
9.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	590.04 223.90	501.09 239.16	310.00 269.17	350.00 439.54	250.00 1,355.09	442.04	208.30
10.	आय एवं व्यय पर अन्य कर-पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	88.03 78.75	100.00 86.52	102.00 125.05	138.00 114.42	150.00 125.81	(-) 16.13	9.95
कुल		29,730.26 23,742.26	32,001.10 23,136.49	31,002.02 29,408.14	33,799.99 30,157.98	34,750.00 30,341.66	(-) 12.69	0.61

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार और राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ)

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के कर राजस्व का ब्योरा चार्ट संख्या: 1.2 में दिया गया है:



तालिका 1.2 से यह परिलक्षित होता है कि 2020-21 के दौरान कर राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविकी में काफी भिन्नताएँ थी जो यह दर्शाता है कि बजट को वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किया गया था। विभाग ने सूचित किया है कि विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत भिन्नताओं का मुख्य कारण पूर्व वर्षों की बकाया राशि ₹ 637.91 करोड़ की वसूली थी।

1.1.3 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर-भिन्न राजस्वों का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.3
कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	निम्न की तुलना में वर्ष 2020-21 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2020-21 के बजट अनुमान	2019-20 की वास्तविकी
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,100.00 997.60	1,350.00 1,082.67	1,600.00 1,560.65	1,600.00 1,572.07	2,450.00 1,708.93	(-) 30.25	8.71
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	365.78 939.91	619.25 1,577.24	2,187.39 1,371.94	2,293.84 1,416.48	2,080.55 3,240.62	55.76	128.78
3.	पुलिस	31.74 42.16	41.53 86.04	46.19 30.41	52.50 96.31	32.00 122.85	283.91	27.56
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	23.35 99.88	256.32 25.84	20.10 46.80	22.62 137.39	63.79 27.88	(-) 56.29	(-) 79.71
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ ⁶	819.87 323.56	567.21 734.95	592.21 1,120.76	837.51 477.35	612.94 1,101.07	79.64	130.66
कुल प्राप्ति		2,403.11	3,506.74	4,130.56	3,699.60	6,201.35		

(स्रोत: वित्त लेखे बिहार सरकार के अनुसार वास्तविक प्राप्ति एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के विवरणी के अनुसार बजट अनुमान)

2020-21 में राज्य के कर-भिन्न राजस्व का ब्योरा चार्ट संख्या 1.3 में दिया गया है।



⁶ अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 2020-21 के दौरान निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति शामिल हैं: सड़क तथा सेतु (₹ 90.61 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 41.80 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 48.16 करोड़), वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 15.53 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 11.50 करोड़), लोक सेवा आयोग (₹ 87.92 करोड़), अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 26.36 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली (₹ 2.24 करोड़), फसल कृषि (₹ 8.47 करोड़), वृहत सिंचाई (₹ 24.07 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 16.07 करोड़), श्रम रोजगार एवं कौशल विकास (₹ 11.36 करोड़), कारा (₹ 30.58 करोड़), मत्स्य पालन (₹ 16.86 करोड़), विविध सामान्य सेवाएँ (₹ 33.57 करोड़), जलापूर्ति तथा सफाई (₹ 9.59 करोड़), आवास (₹ 4.29 करोड़), शहरी विकास (₹ 0.15 करोड़), सूचना तथा प्रचार (₹ 0.14 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 0.06 करोड़), पशुपालन (₹ 0.67 करोड़), सहकारिता (₹ 6.17 करोड़), भूमि सुधार (₹ 0.14 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 3.43 करोड़), नागर विमानन (₹ 3.15 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 0.11 करोड़), पर्यटन (₹ 0.00 करोड़), ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 0.10 करोड़), उद्योग (₹ 0.11 करोड़), सिविल आपूर्ति (₹ 0.01 करोड़), लोक कार्य (₹ 4.79 करोड़), लेखन सामग्री एवं छपाई (₹ 0.05 करोड़) एवं लाभांश एवं लाभ (₹ 603.01 करोड़)।

व्यापक भिन्नताओं के कारणों की चर्चा नीचे की गई है:-

पुलिस प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 2020-21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण मुख्यरूप से फीस, जुर्माना एवं जब्ती के तहत अधिक प्राप्ति था।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तविक प्राप्ति में पूर्व वर्षों की तुलना में 79.71 प्रतिशत के कमी का मुख्य कारण चुनाव उप शीर्ष के तहत प्राप्ति में ₹ 117.76 करोड़ की कमी था।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को बकाया राजस्व ₹ 3,180.63 करोड़ था जिसमें से ₹ 1,056.31 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा तालिका 1.4 में वर्णित है।

तालिका 1.4
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2021 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
1.	बिक्री, ब्यापार आदि पर कर	2,087.14	979.27	₹ 2,087.14 करोड़ में से ₹ 305.99 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 357.83 करोड़ एवं ₹ 228.37 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 3.73 करोड़ कर निर्धारतियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 7.94 करोड़ को बट्टे खाते में डालना संभावित था एवं ₹ 1,183.28 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	171.84	45.22	₹ 171.84 करोड़ में से ₹ 35.38 लाख की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे, ₹ 23.06 करोड़ एवं ₹ 11.23 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 137.19 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	0.20	0.20	₹ 0.20 करोड़ में से ₹ 5.61 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी एवं ₹ 14.15 लाख अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
4.	वाहनों पर कर	172.33	—	परिवहन विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये की अवस्थाओं को भी नहीं बताया। यह दर्शाता है कि विभाग वर्ष-वार अभिलेख का संधारण नहीं कर रहा है।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2.88	1.97	₹ 2.88 करोड़ में से ₹ 1.67 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे एवं ₹ 1.21 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
6.	भू-राजस्व	267.65	—	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये की अवस्थाओं को भी नहीं बताया। यह दर्शाता है कि विभाग वर्ष-वार अभिलेख का संधारण नहीं कर रहा है।
7.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	19.41	10.70	₹ 19.41 करोड़ में से ₹ 16.87 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे एवं ₹ 6.83 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों द्वारा रोक लगाई गई थी।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2021 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
8.	राज्य उत्पाद	48.89	18.95	₹ 48.89 करोड़ में से ₹ 38.85 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 4.70 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी, ₹ 0.14 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गयी थी, ₹ 0.36 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना था ₹ 4.84 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
9.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	410.29	—	खान एवं भूतत्व विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये की अवस्थाओं को भी नहीं बताया। यह दर्शाता है कि विभाग वर्ष-वार अभिलेख का संधारण नहीं कर रहा है।
कुल		3,180.63	1,056.31	

(स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना)

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग के अनुदेशों के हस्तक (1998) के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इसके विधान सभा के समक्ष उपस्थापित होने के दो महीने के भीतर कार्रवाई शुरू करनी है तथा उसके उपरांत लोक लेखा समिति के विचारार्थ सरकार व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगी। फिर भी, राज्य विधान मंडल के समक्ष जुलाई 2011 तथा जुलाई 2021 के बीच प्रस्तुत 2009-10 से 2018-19 तक के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित 266 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विभागों के उत्तर) पाँच माह से अधिक के विलंब से समर्पित की गईं। जुलाई 2021 को, विभिन्न विभागों⁷ से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का वर्णन तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका-1.5
लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं
1.	31 मार्च 2010	20.07.2011	26	26	0
2.	31 मार्च 2011	06.08.2012	35	35	0
3.	31 मार्च 2012	08.01.2013	38	37	1
4.	31 मार्च 2013	21.02.2014	41	39	2
5.	31 मार्च 2014	24.12.2014	44	39	5
6.	31 मार्च 2015	18.03.2016	39	35	4
7.	31 मार्च 2016	27.03.2017	42	20	22
8.	31 मार्च 2017	29.11.2018	36	8	28
9.	31 मार्च 2018	16.03.2020	28	1	27
10.	31 मार्च 2019	29.07.2021	13	0	13
कुल			342	240	102

⁷ वाणिज्य कर (62 कंडिकाएँ); मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (छ: कंडिकाएँ); परिवहन (सात कंडिकाएँ); राजस्व एवं भूमि सुधार (19 कंडिकाएँ) एवं खनन एवं भूतत्व (आठ कंडिकाएँ)।

यह देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अवलोकनों पर राजस्व की वसूली हेतु यद्यपि विभागों ने कार्रवाई शुरू की, परन्तु लगातार होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों द्वारा किसी भी स्तर पर सुधारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 64 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की तथा ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य-कर विभाग, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 52 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दिए, जिन पर विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार के संबंधित विभाग के लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व-व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर समर्पित करने हेतु अनुरोध किया था (फरवरी 2022)। लेखापरीक्षा के अनुरोध के आलोक में वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व-व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति के सिफारिशों पर कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ जमा करने हेतु निर्देश (मार्च 2022) जारी किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों और प्रणाली दोषों तथा राजस्व के रिसाव को बंद करने के लिए, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती हैं, तथा यह सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सभी विभाग तत्परता से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ तैयार करें।

1.4 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.4.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करता है, साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई और इसके अनुश्रवण हेतु उनके उच्च अधिकारियों को इनकी प्रतियाँ निर्गत की जाती हैं। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुख एवं सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। 2011-12 से 2020-21 के दौरान निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पता चला कि मार्च 2021 के अंत तक 2,899 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 24,332 कंडिकाएँ लंबित थी। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में संभावित वसूली योग्य राजस्व ₹ 29,868.12 करोड़ तक है जबकि राज्य का 2020-21 का संपूर्ण राजस्व संग्रहण ₹ 36,543.01 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्णन तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6
विभाग-वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य-कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर प्रवेश कर विद्युत शुल्क मनोरंजन कर	493	10,390	12,783.15
2.	मद्य-निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	362	1,583	1,160.16
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	842	5,468	11,116.01

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	391	3,120	23.75
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	409	1,347	1,348.97
6.	खान एवं भूतत्व	खनन प्राप्तियाँ	402	2,424	3,436.08
कुल			2,899	24,332	29,868.12

यहाँ तक कि 2007-08 और उससे आगे निर्गत किये गये ₹ 18,614.56 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,201 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,385 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम उत्तर जो कार्यालयों के प्रधानों से प्राप्त होने थे, प्राप्त नहीं हुए (जून 2021)। विभागवार विवरण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण जिनके प्रथम उत्तर लंबित हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य-कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	96	2,963	4,710.66
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2.	मद्य-निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	65	361	211.78
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	557	3,829	9,613.47
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	252	2,072	1,915.11
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	131	417	963.90
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	100	743	1,199.64
कुल			1,201	10,385	18,614.56

अनुशंसा:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली आरंभ कर सकती है कि विभागीय अधिकारी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन तत्परता से करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा समिति के बैठक के माध्यम से लेखापरीक्षा के साथ निकटता से कार्य करें।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के दौरान वाणिज्य-कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू-राजस्व एवं खनिज प्राप्तियों से संबंधित राज्य सरकार के छः विभागों के 1,359 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 39 (2.87 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई।

लेखापरीक्षा ने 669 मामलों में कुल ₹ 486.29 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया जिसे निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागों को सूचित किया गया। संबंधित विभागों ने 679 मामलों में ₹ 187.28 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2020 एवं मार्च 2021 के मध्य) जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने विगत वर्षों के 164 मामलों में ₹ 9.69 करोड़ की वसूली (अप्रैल 2020 एवं मार्च 2021 के मध्य) प्रतिवेदित की गई।

1.6 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 10 कंडिकाएँ, “इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई-चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण” पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा एवं “संक्रमणकालीन क्रेडिट” पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 78.85 करोड़ है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 44.88 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया है। लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 से 5 में की गयी है।

बताई गई त्रुटियाँ/चूक का आधार नमूना लेखापरीक्षा है। इसलिए, विभाग/सरकार को सभी इकाईयों का यह जाँच करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण करना चाहिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूक अन्य जगह भी मौजूद है, अगर है, तो उन्हें सुधारने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके।

